रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 592] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 23, 2018/भाद्र 1, 1940
No. 592] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 23, 2018/BHADRA 1, 1940

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 800(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 338(ख) के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 1996 के उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की शर्तें और पदावधि) नियम, 2018 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं –** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अनुच्छेद" से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से अनुच्छेद 338(ख) के खंड (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी हैं;

(ङ) "उपाध्यक्ष" से आयोग का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

3. **अर्हताएं-** (1) सदस्यों की नियुक्ति ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से की जाएगी जिनका सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने संबंधी निस्वार्थ सेवा का रिकार्ड रहा हो।

(2) उप-नियम (1) के उपबंधों के अध्ययधीन,–

(क) अध्यक्ष की नियुक्ति, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित ऐसे प्रतिष्ठित सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं में से की जाएगी, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं निस्वार्थ सेवा-रिकार्ड से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच विश्वास कायम किया हो;

(ख) उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों में से, कम से कम दो, की नियुक्ति, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से की जाएगी;

(ग) सदस्यों में से कम से कम एक महिला सदस्य होगी।

4. **अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति –** इन नियमों के अधीन नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की नियुक्ति अंशकालिक आधार पर भी की जा सकती है।

5. **पदावधि-** (1) इन नियमों में अन्यथा रूप से उपबंधित के सिवाए, प्रत्येक सदस्य उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर बना रहेगा, जिससे उस सदस्य ने कार्यभार ग्रहण किया हो।

(2) सदस्यगण दो पदावधियों से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

6. **वेतन और भत्ते-** (1) प्रत्येक सदस्य का स्तर, जब तक कि अन्यथा रूप से विनिर्दिष्ट न हो, भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होगा।

(2) प्रत्येक सदस्य, ऐसे वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं का हकदार होगा जो सचिव, भारत सरकार को अनुज्ञेय होगी:

परंतु कि अध्यक्ष किराया-मुक्त आवास का भी हकदार होगा।

(3) उप नियम (1) और (2) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य संसद, या किसी राज्य विधान मंडल का सदस्य है, तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जैसी भी स्थिति हो, अन्य कोई सदस्य संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खंड (क) में परिभाषित भत्तों से भिन्न अन्य किसी पारिश्रमिक या जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भत्ते, यदि कोई हो, जो राज्य विधान मंडल का सदस्य होते हुए, राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए निरर्हता के निवारण से संबंधित राज्य में किसी विधि के अंतर्गत उस समय प्रवृत्त हो, ऐसी निरर्हता के बिना प्राप्त करता है, को पाने का हकदार नहीं होगा।

(4) उप-नियम (1) और (2) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, अंशकालिक आधार पर नियुक्त कोई सदस्य दौरे के दौरान ऐसा यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा, जो सचिव, भारत सरकार को अनुज्ञेय है।

7. **स्थायी अथवा अस्थायी नियुक्तियों के मामले में व्यवस्था-** (1) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है अथवा यदि अध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित हो अथवा अपने कर्तव्य का पालन करने में अक्षम है, तो नए अध्यक्ष के कार्यभार संभालने अथवा विद्यमान अध्यक्ष के अपना कार्यभार संभालने तक, जैसा भी मामला हो, उपाध्यक्ष द्वारा इन कर्तव्यों का पालन किया जाएगा।

IndiaCode

(2) यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है अथवा यदि उपाध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित हो अथवा अपने कर्तव्य का पालन करने में अक्षम है, तो नए उपाध्यक्ष के कार्यभार संभालने अथवा विद्यमान उपाध्यक्ष के अपना कार्यभार संभालने तक, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी अन्य सदस्य द्वारा उन कर्तव्यों का पालन किया जाएगा।

8. **आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध-** उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कोई सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अथवा अन्य किसी संस्था या स्वायत्त निकाय का सेवानिवृत्त सेवक होने के नाते किसी व्यक्ति को और उसे पिछली सेवा के संबंध में पेंशन की प्राप्ति की स्थिति में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो इन नियमों के अधीन उसको अनुज्ञेय वेतन में से उस पेंशन की रकम और यदि उसने पेंशन के किसी भाग के बदले उसका संराशिकृत मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की रकम घटा दी जाएगी।

9. **त्याग-पत्र और हटाना-** (1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा अन्य कोई सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित हस्तलिखित पत्र द्वारा नोटिस देकर अपने पद से त्याग-पत्र दे सकते हैं।

(2) (क) अध्यक्ष को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कदाचार के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर संविधान के अनुच्छेद 145 के खंड (1) के उप-खंड (i) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसरण में जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि अध्यक्ष को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(ख) राष्ट्रपति, अध्यक्ष को जिनके संबंध में इस उप-नियम के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा।

(ग) खण्ड (क) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का आदेश दे सकते हैं, यदि अध्यक्ष,-

(i) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; अथवा

(ii) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है; अथवा

(iii) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ हो और कारावास की सजा हुई हो, जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अक्षमता अंतर्वलित है; या

(iv) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक और शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है अथवा अध्यक्ष के पद का दुरुपयोग किया हो, क्योंकि इससे यह लगता है कि इस व्यक्ति का इस पद पर बने रहना सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों के लिए हानिकारक है:

परंतु कि अध्यक्ष को इस खण्ड के अधीन तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मामले में सुने जाने का, उसे युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(घ) यदि अध्यक्ष, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उससे हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोदभूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह खंड (क) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

IndiaCode

(3) राष्ट्रपति, किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा सकते हैं, यदि वह व्यक्ति,-

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया हो;

(ख) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ हो और उसे कारावास की सजा हुई हो, जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अक्षमता अंतर्विलित है;

(ग) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य हो;

(घ) कार्य करने से मना करता हो अथवा कार्य करने में अक्षम हो गया हो;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित होने की अनुमति लिए बिना अथवा आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।

(च) राष्ट्रपति की राय में, उपाध्यक्ष अथवा किसी सदस्य ने अपने पद का दुरुपयोग किया हो, कि उस व्यक्ति का उस पद पर बने रहना सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए हानिकारक हो:

परंतु कि किसी व्यक्ति को इस उप-खण्ड के अधीन तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक कि उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

[फा.सं. 12015/11/2017-बीसी-II (खंडII)]

बी.एल. मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2018

G.S.R. 800(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 338B of the Constitution and in supersession of the National Commission for Backward Classes (Salaries and Allowances and other conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 1996, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, President hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the National Commission for Backward Classes Chairperson, Vice-Chairperson and Members (Conditions of Service and Tenure) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "article" means article of the Constitution;

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;

(c) "Commission" means the National Commission for Backward Classes established under clause (1) of article 338B;

(d) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairperson and the Vice-Chairperson;

(e) "Vice-Chairperson" means the vice-Chairperson of the Commission.

3. **Qualifications.-** (1) The Members shall be appointed from amongst persons of ability, integrity and standing who have had a record of selfless service to the cause of justice for the socially and educationally backward classes.

(2) Subject to the provisions of sub rule (1),-

(a) the Chairperson shall be appointed from amongst eminent socio-political workers belonging to the socially and educationally backward classes, who inspire confidence amongst the socially and educationally backward classes by their very personality and record of selfless service;

(b) of the Vice-Chairperson and all other Members out of whom, at least two shall be appointed from amongst persons belonging to the socially and educationally backward classes;

(c) at least one other Member shall be appointed from amongst women;

4. **Appointment of part-time Members.-** The Members to be appointed under these rules may be appointed on part-time basis also.

5. **Term of Office.-** (1) Save as otherwise provided in these rules, every Member shall hold office for a term of three years from the date on which the Member assumes such office.

(2) The Members shall not be eligible for appointment for more than two terms.

6. **Salaries and allowances.-** (1) Every Member shall have the rank of a Secretary to the Government of India unless otherwise specified.

(2) Every Member shall be entitled to such salaries, allowances and other facilities as admissible to a Secretary to the Government of India:

Provided that the Chairperson shall also be entitled to a rent free accommodation.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), if the Chairperson, Vice-Chairperson or any other Member is a Member of Parliament, or a State Legislature, the Chairperson, Vice-chairperson, or as the case may be, the other Member, shall not be entitled to any remuneration other than the allowances, defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or as the case may be, other than the allowances, if any, which a Member of the Legislature of the State may, under any law for the time being a force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature receive without incurring such disqualification.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), a Member appointed on part-time basis shall be entitled to traveling allowance and daily allowance during tour applicable to a Secretary to the Government of India.

7. **Arrangement in case of permanent or temporary vacancies.-** (1) If the office of the Chairperson becomes vacant or if the Chairperson is for any reason absent or unable to discharge the duties of his office, those duties shall, until the new Chairperson assumes office or the existing Chairperson resumes his office, as the case may be, be discharged by the Vice-Chairperson.

(2) If the office of the Vice-Chairperson becomes vacant or if the Vice-Chairperson is for any reason absent or unable to discharge the duties of his office, these duties shall, until the new Vice-Chairperson assumes office or the existing Vice-Chairperson resumes his office, be discharged by such other Member as President may direct.

8. **Special provision for retired persons appointed as Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission.-** Where any person, being a retired judge of Supreme Court or of a High Court or a retired government servant or retired servant of any other institution or autonomous body and in receipt of a pension in respect of any previous service, is appointed as Chairperson, Vice-Chairperson or a Member, the salary admissible to him under these rules shall be reduced by the amount of that pension and if he had received in lieu of a portion of the pension, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension.

9. **Resignation and Removal.-** (1) The Chairperson and Vice-Chairperson and any other Member, may, by notice in writing under his hand addressed to President, resign his post.

(2) (a) The Chairperson shall only be removed from his office by order of President on the ground of misbehavior after the Supreme Court, on reference being made to it by President, has on inquiry held in accordance with the procedure prescribed by it under sub-clause (i) of clause (1) of article 145 of the Constitution, reported that the Chairperson ought on any such ground to be removed.

(b) President may suspend from office the Chairperson in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under this sub-rule until the President has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

(c) Notwithstanding anything in clause (a), the President may by order remove from office the Chairperson, if the Chairperson,-

(i) is adjudged an insolvent; or

(ii) engaged during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(iii) gets convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the President involves moral turpitude; or

(iv) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or has so abused the position of Chairperson as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of the socially and educationally backward classes:

Provided that the Chairperson shall not be removed under this clause until he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(d) If the Chairperson, is or becomes in any way concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of India or the Government of a State, participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising there from otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of clause (a) be deemed guilty of misbehavior.

(3) The President shall remove a person from the office of Vice-chairperson or Member, if that person,-

(a) becomes an un-discharged insolvent;

(b) gets convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the President involves moral turpitude;

(c) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting;

(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or

(f) in the opinion of the President, has so abused the position of Vice-Chairperson or Member as to render that persons continuance in office is detrimental to the interest of the socially and educationally backward classes:

Provided that no person shall be removed under this sub-rule until he has been given reasonable opportunity of being heard in the matter.

[F.No.12015/11/2017-BC-II (Vol. II)]

B.L. MEENA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.08.24 13:52:05 +05'30'

IndiaCode